

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्रीमती कल्पना तत्ववेदी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि किशनगढ - अजमेर जिनकी जन्म तिथि:- 18.09.1963 ने दिनांक 06.07.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 30.09.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्रीमती कल्पना तत्ववेदी, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि किशनगढ - अजमेर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 30.09.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्रीमती कल्पना तत्ववेदी के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(सौरभ स्वामी)


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/98
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित -

दिनांक-13/08/2020

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि किशनगढ - अजमेर
7. श्रीमती कल्पना तत्ववेदी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि किशनगढ - अजमेर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-


आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री गिरधारी लाल बुनकर व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि जीलो - नीमकाथाना-सीकर जिनकी जन्म तिथि:- 05.08.1962 ने दिनांक 05.07.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.08.2020 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है ।

अतः श्री गिरधारी लाल बुनकर, व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि जीलो - नीमकाथाना-सीकर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31.08.2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री गिरधारी लाल बुनकर के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा निवृत्ति/2020/97
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रपिप्त -

दिनांक- 13/08/2020

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेत
5. संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. प्रधानाचार्य, राउमावि जीलो - नीमकाथाना-सीकर
7. श्री गिरधारी लाल बुनकर व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि जीलो - नीमकाथाना-सीकर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर